न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000542005</u>

दांडिक प्रकरण क.-243/09

<u>संस्थापित दिनांक—09.11.2005</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—खेतसिंह पुत्र राजधर लोधी उम्र 60 साल निवासी
हसारी।
02—बृजभान सिंह पुत्र खेतसिंह लोधी उम्र 35 साल
निवासी हसारी।
आरोपीगण
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :— श्री चौरसिया अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 186, 353, 294, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

नंदलाल ने दिनांक 18.10.05 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि वह व्यवहार न्यायालय चंदेरी में आदेशिका वाहक के पद पर पदस्थ था तथा दिनांक 22.09.05 को प्रातः 11 बजे ग्राम हसारी में वह न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 11ए/03 में कुर्की वारंट की तामीली हेतु गया था। आवेदक के अनुसार जब उसने वारंट पढ़कर सुनाया तब बृजभान सिंह एवं खेतसिंह आवेश में आ गए तथा उन्होंने गंदी—गंदी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और साथ ही उसके साथ चेंट गए एवं शासकीय कार्य संपन्न नहीं करने दिया। उक्त आवेदन के आधार पर उक्त दोनों आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 293/05 के अंतर्गत भादवि की धारा 353, 186, 294, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 353, 294, 506 / 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 22.09.05 को 11.00 बजें हसारी में प्रार्थी नंदलाल न्यायालय चंदेरी में प्रोसेस सर्वर के पद पर कार्यरत होते हुए लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, के साथ झूमा—झटकी कर लोक सेवक को अपने कर्तव्य निर्वहन में भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर ही प्रार्थी को मादरचोद—बहनचोद आदि गालियों के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ही प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::-</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कल्लू, अ.सा. 02 प्रीतम, अ.सा. 03 गोविंद राम तिवारी, अ.सा. 04 राजेंद्र सिंह, अ.सा. 05 नंदलाल जाटव की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 05 नंदलाल जाटव ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह न्यायालय की कुर्की वारंट के निर्वहन हेतु ग्राम हसारी गया था तथा वहां पहुंचकर उसने वारंट पढ़कर खेतसिंह को सुनाया तो खेतिसिंह का लड़का बृगभान सिंह वहां आ गया और उसे गालियां देने लगा। उक्त साक्षी के अनुसार बृगभान सिंह ने उसके साथ धक्का मुक्की कर दी थी और तत्पश्चात् उसने हसारी से लौटने के बाद घटना के बारे में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को बताया। उक्त साक्षी के अनुसार पीठासीन अधिकारी ने थाने में एक आवेदन पत्र मिजवाया था जो प्रपी 05 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा उसके द्वारा दिया गया आवेदन पत्र प्रपी 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसे प्रपी 07 का कुर्की वारंट प्रपी 08 की सूची के साथ प्राप्त हुआ था जो उसके द्वारा पुलिस को सोंप दी गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे वर्क टिकिट के माध्यम से कुर्की वारंट प्राप्त हुआ था तथा वर्क टिकिट प्रपी 09 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार वह वारंट की तामीली झगड़ा होने के कारण नहीं करा पाया। उक्त साक्षी के अनुसार उसे गांव के चौकीदार ने खेतिसिंह के घर के बारे में बताया था तथा

झगडे के समय गांव के दस-बीस आदमी इकट्ठा हो गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कुर्की वारंट के बारे में आरोपी को बताया था और तब उसका लडका गाली देने लगा और साथ ही उसके साथ झूमा झटकी करने लगा।

08— अ.सा. 02 प्रीतम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है और साथ ही फरियादी नंदलाल को भी जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घ ाटना दिनांक को खेतिसेंह के विरुद्ध कुर्की वारंट था। तब नंदलाल ने उससे कहा था कि तहसील चंदेरी के कागजात पर दस्तखत करवा दो। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने सरकारी काम करने से रोका था। अ.सा. 03 कल्लू ने अपने कथन में बताया है कि वह फरियादी एवं आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य क्या विवाद हुआ था इसकी उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण ने फरियादी को गालियां दी थीं और इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी।

09— अ.सा. 03 गोविंदराम ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रपी 04 लेखबद्ध की गई थी तथा प्रपी 05 के माध्यम से प्रपी 06 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर उसने प्रपी 04 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने आवेदन के आधार पर रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। अ.सा. 04 राजेंद्र सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के दौरान प्रपी 02 का नक्शामौका बनाया गया था तथा उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को प्रपी 04 के अनुसार गिरफतार किया था।

10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मामले के फरियादी अ.सा. 05 ने अपने कथनों में

बताया है कि घटना दिनांक को वह कुर्की वारंट की तामीली हेतु घटनास्थल पर पहुंचा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने कुर्की वारंट की तामीली नहीं होने दी और साथ ही झगडा करते हुए फरियादी को गालियां दी थीं एवं जान से मारने की धमकी भी दी थी। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 ने अपने कथनों में बताया है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य क्या हुआ। अ.सा. 05 की साक्ष्य से ऐसा कहीं प्रकट नहीं होता कि घटना के समय अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 घटनास्थल पर उपस्थित थे। अ.सा. 03 द्वारा प्रकरण में मात्र कायमी की कार्यवाही की गई तथा अ.सा. 04 द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई है। अ.सा. 05 के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। अ.सा. 05 की साक्ष्य अखंडनीय एवं तटस्थ रही है तथा अ.सा. 05 के कथनों या अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से यह कहीं प्रकट नहीं होता कि फरियादी द्वारा झूटा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से ऐसा भी कहीं प्रकट नहीं होता कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य कोई पुरानी रंजिश हो। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण द्वारा कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रकरण में आरोपीगण को झूठा फंसाया गया है।

- 11— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी जो कि एक लोकसेवक है, के कर्तव्य के निर्वहन में झूमा झटकी कर बल का प्रयोग किया गया तथा फरियादी को गालियां दी गईं और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गईं। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः दोनों आरोपीगण को भादवि की धारा 353, 294, 506/34 के आरोप से सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 12— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके

अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

> (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग–01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी

पुनश्च:-

- 13. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चौरसिया का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा उक्त अपराध लोकसेवक के विरुद्ध कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- 14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा लोकसेवक के विरुद्ध अपराध कारित किया जाता है तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 353 के अपराध में 03—03 माह के साधारण कारावास एवं 300—300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम

में आरोपीगण सात—सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 300—300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपीगण तीन—तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 506/34 के अपराध में 300—300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपीगण तीन—तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 15. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 17. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 18. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी